रिपोर्टेबल

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

आपराधिक अपीली अधिकारिता

आपराधिक अपील संख्या 1985/2010

के साथ

आपराधिक अपील संख्या 1990/2010

आपराधिक अपील संख्या 1991/2010

आपराधिक अपील संख्या 1992/2010

आपराधिक अपील संख्या 342/2011

नानक राम ..... अपीलार्थी (गण)

बनाम

राजस्थान राज्य ..... प्रत्यर्थी (गण)

धारा 300, अपवाद 4 और धारा 304 (भाग I) - एक जमीन को लेकर प्रतिद्वंद्वी समूहों के बीच विवाद अचानक लड़ाई में बदल गया, जिसके परिणामस्वरूप शिकायतकर्ता पक्ष के एक व्यक्ति की मौत हो गई - उच्च

न्यायालय ने धारा 302 के तहत दोषसिद्धि को धारा 304 (भाग II) के तहत परिवर्तित कर दिया- अभिनिर्धारित : मृतक की 9 चोटों में से केवल एक को गंभीर प्रकृति का माना गया, जो प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी - अचानक हुए झगड़े में आवेश में आकर आरोपी ने मृतक को पहुंचाई चोटें - यह कार्य आरोपी व्यक्ति द्वारा ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे से किया गया था जिससे मृत्यु होने की संभावना थी - अपराध पूरी तरह से धारा 304 (भाग I) के अंतर्गत आएगा - धारा 304 (भाग II) के तहत दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया गया और अपीलार्थियों को धारा 304 (भाग I) के तहत दोषी ठहराया गया और प्रत्येक को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई - अपीलार्थी परिवीक्षा पर रिहा होने के हकदार नहीं हैं - अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958

निर्णय

सी. नागप्पन, न्यायाधिपति

1. यह निर्णय तीन अपीलों का निपटारा करेगा । अपीलार्थी नानक राम/अभियुक्त द्वारा दायर आपराधिक अपील संख्या 1985/2010, अपीलार्थियों/अभियुक्त मोहन राम और सुरजा राम द्वारा उनकी दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ दायर आपराधिक अपील संख्या 342/2011, और

उपरोक्त अभियुक्तों के खिलाफ सजा बढ़ाने के लिए राजस्थान राज्य द्वारा क्रमशः आपराधिक अपील संख्या 1991/2010, 1990/2010 और आपराधिक अपील संख्या 1992/2010 दायर की गई।

2. अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में इस प्रकार हैः पीडब्ल्यू 7 शेरा राम मृतक शिवजी राम का छोटा भाई है और उन्होंने गाँव के पश्चिम की ओर ग्राम पंचायत से भूमि प्राप्त की थी और उक्त भूमि के लिए पट्टा प्राप्त किया था। अभियुक्त भेरा राम और अभियुक्त चुना राम सगे भाई हैं जबकि अभियुक्त सुरजा राम और अभियुक्त मोहन राम अभियुक्त सदुला राम के बेटे हैं। अभियुक्त भेरा राम और सदुला राम ने शिवजी राम और शेरा राम से कहा कि वे उन्हें जमीन नहीं लेने देंगे और उनसे जमीन छीन लेंगे। घटना से दो महीने पहले शिवजी राम और शेरा राम ने अपनी जमीन के चारों ओर बाड़ लगा दी थी, जिस पर आरोपी भेरा राम और अन्य आरोपी उसी पर गंभीर रूप से नाराज थे। घटना के दिन यानि 29.5.1983 को सुबह 10.30 बजे शिवजी राम और उनके दोनों छोटे भाई अपनी जमीन पर बाड़ की मरम्मत/पुनर्निर्माण कर रहे थे, आरोपी व्यक्ति भेरा राम, सदुला राम और उनके बेटे मोहन राम और सुरजा राम, गोरधन राम, नानक राम और चुना राम, सभी विधिवत सशस्त्र दक्षिण की ओर से बारा में प्रवेश कर गए और बाड़ को तोड़ना शुरू कर दिया। शिवजी राम और उनके भाइयों ने यह कहकर सवाल

किया कि उन्होंने पंचायत से पट्टा प्राप्त किया है। इसके बाद भेरा राम और सुरजा राम ने एक साथ बरछी से शिवजी राम के सिर पर वार किया, जिसके परिणामस्वरूप वह गिर गया और सभी अभियुक्तों ने अपने हथियारों से उस पर हमला कर दिया। शेरा राम ने हस्तक्षेप किया और अभियुक्त मोहन राम ने बरछी का वार किया जो उसके सिर के बाईं ओर लगा और अभियुक्त लगाया कि चुना राम ने उनके दाहिने पैर पर जेई से वार किया। फिर सभी अभियुक्तों ने पिटाई शुरू कर दी, जिसके बाद उसकी बहन धूरी दौड़ती हुई आई और उसे बचाने के लिए शेरा राम पर गिर गई। घटना स्थल पर मौजूद पीडब्ल्यू 11 बालू राम और पीडब्ल्यू 2 मांगी लाल को अभियुक्तों द्वारा धमकी दी गई और वे भयभीत हो गए और उन्होंने घटना को सड़क के किनारे खड़े देखा।,इसके बाद सभी अभियुक्त फरार हो गए। शिवजी राम की मौके पर ही मौत हो गई।

3. किसी अज्ञात व्यक्ति ने 29.5.1983 पर पुलिस स्टेशन नोखा को घटना के बारे में टेलीफोन पर जानकारी दी और रोजनामचा प्रदर्श पी-54 मे अंकित करने के बाद पीडब्ल्यू 13 अत्तार अली खान घटना स्थल पर गए और शिवजी राम को मृत और शेरा राम को घायल अवस्था में पाया और उन्होंने शेरा राम का बयान प्रदर्श पी-9 दर्ज किया, उसे इलाज के लिए नोखा अस्पताल भेज दिया। उन्होंने मामला दर्ज करने के लिया बयान प्रदर्श पी-9 पुलिस थाना भेज दिया और एफ.आई.आर. प्रदर्श पी-

55 दर्ज की गई। उन्होंने शिवजी राम के शरीर की जाँच की और 'जाँच रिपोर्ट' प्रदर्श पी 5 तैयार की। उन्होंने घटनास्थल का नक्शा प्रदर्श पी 3 और घटनास्थल के निरीक्षण का नोट प्रदर्श पी 45 तैयार किया। उन्होंने प्रदर्श पी33 के तहत खून से सनी मिट्टी और साधारण मिट्टी को जब्त कर लिया और प्रदर्श पी34 के तहत घटना स्थल से आरोपी चूना राम, नानक राम द्वारा इस्तेमाल की गई जेई को भी जब्त कर लिया। उन्होंने शिवजी राम के जूते यानी प्रदर्श पी35 को भी जब्त कर लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

4. डॉ. मोती लाल मिश्रा (पीडब्ल्यू 9) ने शिवजी राम के शरीर का शव परीक्षण किया और निम्नलिखित 9 घाव पाएः

i) सिर पर 6-½" x ½" का और मस्तिष्क तक गहरा एक कटा हुआ घाव,

ii) बाएं घुटने के जोड़ पर हड्डी की गहराई तक 1 x ½ x ½ सेमी का एक छेदा हुआ घाव;

iii) बायीं कोहनी के जोड़ पर 1 सेमी के कई घाव कटे हुए;

iv) बायीं अनामिका के पृष्ठ भाग पर 1 x ½ सेमी का घर्षण;

v) अग्रवर्ती बाएँ पैर के निचले आधे भाग पर 4 x 2 सेमी का घाव;

vi) 5 वीं चोट के पास बाएं पैर पर 2 x 2 सेमी सूजन;

vii) दाहिनी जांघ पर 1 x 1 सेमी का घाव

viii) टखने के जोड़ के पास दाहिने घुटने के जोड़ पर 3 x 1 सेमी घर्षण; और

ix) दाहिनी मध्य उंगली पर पृष्ठीय घर्षण। उन्होंने प्रदर्श पी33 पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट जारी करते हुए राय व्यक्त की कि मौत मस्तिष्क के सभी तत्वों के नष्ट होने और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण सदमे के कारण हुई है।

5. पीडब्ल्यू 9 डॉ. मोती लाल मिश्रा ने नोखा अस्पताल में शेरा राम की जांच की और उन पर निम्नलिखित 11 चोटें पाईः

i) बाएं पैर के निचले हिस्से के अंदरुनी भाग पर 4 x 3 सेमी गहरी हड्डी का एक कुचला हुआ घाव;

ii) दाहिने पैर के मध्य 1/3 भाग पर पार्श्व में 1 सेमी x .5x .5 सेमी का एक कुचला हुआ घाव;

iii) ग्लूटियल क्षेत्र के निचले हिस्से पर 15 x 1.5 सेमी का नील;

iv) दाहिनी स्कैपुला पर 3 x ½ सेमी का घर्षण;

v) सिर के बाईं ओर 6 x 1 x 1.5 सेमी का एक कुचला हुआ घाव, बाएं कान से 7 सेमी ऊपर,

vi) सिर के पीछे की ओर 1 सेमी x 1 सेमी खरोंच;

vii) दाहिनी हथेली पर 4 x 3 सेमी सूजन;

viii) बाएं अंगूठे पर पार्श्व में 1 x ½ सेमी का घर्षण;

ix) दाहिनी जांघ के मध्य भाग पर मध्य मे 6 x 1 सेमी की चोट;

x) नौवीं चोट से 2 सेमी ऊपर दाहिनी जांघ पर 3 x 1 सेमी का घाव और

xi) दाहिने ग्लूटल के ऊपरी आधे भाग पर दो घाव, एक 4 x 1 सेमी का और दूसरा 3 x 1 सेमी का।

उन्होंने राय दी कि उपरोक्त सभी चोटें सामान्य प्रकृति की थीं और उन्होंने प्रदर्श पी 32 चोट रिपोर्ट जारी की।

6. जाँच पूरी करने के बाद सभी अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ मुन्सिफ़-सह-न्यायिक मजिस्ट्रेट नोखा की अदालत में चालान दायर किया गया। अभियुक्त नानक राम फरार था। अन्य अभियुक्तों अर्थात् भेरा राम, सादुला राम, चुना राम, सुरजा राम, मोहन राम और गोरधन राम पर धारा 302, 307, 323 और 324 जिन्हे धारा 149 के साथ पढ़ा गया के तहत कथित अपराधों के लिए सत्र मामला संख्या 63/1983 में मुकदमा चलाया गया, साथ ही आईपीसी की धारा 147 और 148 के तहत अपराध के लिए। अभियोजन पक्ष ने 13 गवाहों से पूछताछ की और साक्ष्य के तौर पर 59 दस्तावेज़ पेश किये। विद्वान सत्र न्यायाधीश

ने आरोपी भेरा राम और सुरजा राम को आईपीसी की धारा 149 के साथ पठित धारा 302 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया और प्रत्येक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन्होंने आरोपी व्यक्तियों सदुला राम, मोहन राम और गोरधन राम को आईपीसी की धारा 149 के साथ पठित धारा 304 भाग 2 के तहत अपराधों के लिए भी दोषी ठहराया और प्रत्येक को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा उन्होंने आरोपी व्यक्तियों सुरजा राम, भेरा राम, गोरधन राम और मोहन राम को आईपीसी की धारा 148 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया और प्रत्येक को छह महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उन्होंने सदुला राम को आईपीसी की धारा 147 के तहत अपराध के लिए भी दोषी ठहराया और उसे 3 महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा उन्होंने अभियुक्तों सुरजा राम, भेरा राम, मोहन राम, सादुला राम और गोरधन राम को आईपीसी की धारा 323 और 324 सपठित धारा 149 आईपीसी के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया और प्रत्येक को 6 महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई और सभी सजाएं एक साथ चलाने का निर्देश दिया। हालांकि, उन्होंने अभियुक्त चुना राम को आरोपों से बरी कर दिया।

7. सभी पाँच दोषी अभियुक्तों ने अपनी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में अपील संख्या

428/1984 से अपील को प्राथमिकता दी। राजस्थान राज्य ने अपील संख्या 106/1985 में आईपीसी की धारा 302 सपठित धारा 149 के तहत अपराध के लिए अभियुक्तों सादुला राम, मोहन राम और गोरधन राम को बरी करने और चूना राम को पूरी तरह से बरी करने को चुनौती दी। अपील के लंबित रहने के दौरान, चार अभियुक्तों अर्थात् सादुला राम, गोरधन राम, भेरा राम और चुना राम की मृत्यु हो गई, जिसके परिणामस्वरूप अपील संख्या 106/1985 में उनके खिलाफ दायर अपील समाप्त हो गई और उक्त अपील केवल अभियुक्त मोहन राम के विरुद्ध जारी रही। इसी प्रकार अभियुक्तों भेरा राम, सादुला राम, गोरधन राम द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 428/1984 भी निरस्त हो गई और यह केवल आरोपी सुरजा राम और मोहन राम की ओर से जारी रही।

8. राजस्थान उच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 302 सपठित धारा 149 के तहत अपराध के लिए उसकी दोषसिद्धि को रद्द करते हुए आरोपी सुरजा राम द्वारा दायर अपील संख्या 428/1984 में अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और इसके बजाय उसे धारा 304 भाग II सपठित धारा 149 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया और उसे 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और उस पर लगाए गए अन्य दोषसिद्धि और सजाएं बरकरार रखी गईं। साथ ही, इसने अभियुक्त मोहन राम द्वारा दायर अपील संख्या 428/1984 में उस पर लगाई गई

सजा और सजा की पुष्टि करते हुए अपील को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने अभियुक्त मोहन राम के खिलाफ राजस्थान राज्य द्वारा दायर अपील संख्या 106/1985 को भी खारिज कर दिया।

9. पकड़े जाने पर आरोपी नानक राम पर सत्र मुकदमा संख्या 24/1985 में मुकदमा चलाया गया और विद्वान सत्र न्यायाधीश, बीकानेर ने उसे धारा 302 सपठित धारा 149 आईपीसी के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।उन्होंने उसे आईपीसी की धारा 148 के तहत अपराध के लिए भी दोषी ठहराया और उसे छह महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई और धारा 324 सपठित धारा 149 आईपीसी के तहत अपराध के लिए उसे दोषी ठहराया और उसे एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा उन्होंने उसे धारा 323 सपठित धारा 149 आईपीसी के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया और उसे तीन महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई और इसके अलावा उन्होंने उसे आईपीसी की धारा 447 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया और दो महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई और सभी सजाएं एक साथ चलाने का निर्देश दिया। दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देते हुए नानक राम ने राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में आपराधिक अपील संख्या 314/1990 को प्राथमिकता दी और उच्च न्यायालय ने धारा 302 सपठित धारा 149

आईपीसी के तहत दोषसिद्धि को दरकिनार करके अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी और इसके बजाय धारा 304 भाग II सपठित धारा 149 आईपीसी के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया और उन्हें पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और सत्र न्यायालय द्वारा लगाए गए अन्य सभी दोषसिद्धि और सजाओं को बरकरार रखा।

10. उच्च न्यायालय द्वारा अपनी दोषसिद्धि और उन पर लगाई गई सज़ाओं को चुनौती देते हुए अभियुक्त नानक राम, मोहन राम और सुरजा राम ने ऊपर उल्लिखित आपराधिक अपील दायर की और राजस्थान राज्य ने भी उपरोक्त अभियुक्तों के खिलाफ अपील दायर की और उन पर लगाई गई सज़ाओं को बढ़ाने की मांग की। इन सभी अपीलों की सुनवाई एक साथ की गई थी और इस सामान्य निर्णय द्वारा इनका निपटारा किया जा रहा है।

11. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री महावीर सिंह ने तर्क दिया कि घटना लगभग 30 साल पहले हुई थी और अभियुक्त केवल शिवजी राम और उनके भाइयों द्वारा लगाई गई बाड़ को हटाने के लिए घटना स्थल पर गए थे और जब इसका विरोध किया गया था तो एक खुली लड़ाई हुई जो आकस्मिक थी और मारने का कोई इरादा नहीं था और शिवजी राम के सिर पर केवल एक वार घातक था और अन्य चोटें केवल मामूली चोटें थीं, और नीचे की अदालतें यह

समझने में विफल रही हैं कि तात्विक सुधार और कमियाँ हैं और चश्मदीद गवाहों की उपस्थिति अत्यधिक संदिग्ध है और अपीलार्थियों की सजा पूरी तरह से अनुचित है और खारिज की जा सकती है। अपीलार्थियों के लिए विद्वान अधिवक्ता का वैकल्पिक तर्क यह था कि अपीलार्थियों ने अपनी सजा के तीन साल पूरे कर लिए हैं और उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 के प्रावधान के साथ-साथ अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 के तहत परिवीक्षा का लाभ दिया जाए और तर्क के समर्थन में उन्होंने **कर्नाटक राज्य बनाम मुद्दप्पा** (1999) 5 एस.सी.सी. 732 और **एलियम्मा और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य** (2009) 11 एस.सी.सी. 42 में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया।

12. इसके विपरीत, राजस्थान राज्य की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता सुश्री सोनिया माथुर ने दृढ़ता से तर्क दिया कि शिवजी राम और उनके भाई भूमि के पट्टा धारक हैं और पंचायत द्वारा उनके पक्ष में पट्टा विलेख निष्पादित किए गए हैं और अभियुक्तों ने कानूनी कार्यवाही में असफल होने पर भाइयों पर हमला करने और जमीन पर जबरन कब्जा करने का फैसला किया था और उक्त सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में सभी सात अभियुक्तों ने विधिवत हथियारों से लैस होकर जबरन भूमि में प्रवेश किया और शिवजी राम को बरछी व जेई से घायल कर दिया

जिसके परिणामस्वरूप उसकी तत्काल मृत्यु हो गई और उसके छोटे भाई शेरा राम को भी चोटें पहुंचाईं । उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर धारा 302 सपठित धारा 149 आईपीसी को धारा 304 भाग ॥ सपठित धारा 149 से बदलना गलत और कानूनी रूप से अस्थिर है। अपनी दलीलों के समर्थन में उन्होंने इस अदालत के फैसलों, **महेश बाल्मिकी उपनाम मुन्ना बनाम मध्यप्रदेश राज्य** (2000) 1 एस.सी.सी. 319 और **अरुण निवालाजी मोरे बनाम महाराष्ट्र राज्य** (2006) 12 एस.सी.सी. 613, पर भरोसा किया। ।

13. अभियोजन पक्ष ने घटना के गवाह के रूप में पीडब्ल्यू 7 शेरा राम, पीडब्ल्यू 2, मंडी लाल, पीडब्ल्यू 6 धूरी और पीडब्ल्यू 11 बालू राम से पूछताछ की है। शेरा राम और पीडब्ल्यू 11 बालू राम मृतक शिवजी राम के छोटे भाई हैं और पीडब्ल्यू 6 धूरी उनकी बहन हैं। पीडब्लू 7 शेरा राम भी घटना के दौरान घायल हो गए थे और उनके अनुसार घटना के दिन 29.5.1983 को सुबह 10.30 बजे शिवजी राम और उनके दोनों भाई अपनी पट्टा भूमि में बाड़ की मरम्मत/पुनः निर्माण कर रहे थे और अभियुक्त भेरा राम, सादुला राम और उनके बेटे मोहन राम और सुरजा राम, गोरधन राम, नानक राम और चूना राम हथियारों से लैस होकर दक्षिण की ओर से बाड़ा में घुस गए और बाड़ को तोड़ना शुरू कर दिया और उन्होंने यह कहकर सवाल उठाया कि उन्होंने पंचायत से पट्टा प्राप्त

किया है और उसी समय भेरा राम और सुरजा राम ने शिवजी राम के सिर पर बरछी से वार किया जिससे वह गिर गया और सभी अभियुक्तों ने उस पर अपने हथियारों से हमला कर दिया और जब उसने बीच-बचाव किया तो अभियुक्त मोहन राम ने उसके बायीं तरफ बरछी से वार कर दिया और अभियुक्त चूना राम ने उसके जेई से दाहिने पैर पर वार कर दिया। और अन्य अभियुक्तों ने भी उसे पीटना शुरू कर दिया, जिस पर उसकी बहन धुरी दौड़ती हुई आई और उसे बचाने के लिए उस पर गिर पड़ी। अभियुक्तों ने पीडब्ल्यू 11 बालू राम और पीडब्ल्यू 12 मांगी लाल को भी धमकी दी जिससे भयभीत होकर वे लोग सड़क के किनारे खड़े होकर घटना को देखने लगे और शिवजी राम की मौके पर ही मौत हो गई। पीडब्ल्यू 7 शेरा राम पर घटना के समय सभी अभियुक्तों द्वारा किए गए हमले के परिणामस्वरूप 11 चोटें आईं। पी डब्ल्यू 11 बालू राम अपने भाइयों के साथ भूमि की बाड़ लगाने में शामिल थे और घटना स्थल पर उनकी उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता है। पी डब्ल्यू 2 मांगी लाल शिवजी राम के साथ उनकी जमीन पर थे और उन्होंने इस घटना को देखा है। वह एक स्वतंत्र गवाह है।अभियुक्त द्वारा उसके भाइयों पर किए गए हमले को देखकर पी डब्ल्यू 6 धूरी भागते हुए आयी और शेरा राम पर गिरकर उसे बचाने की कोशिश की।पी डब्ल्यू 2 मांगी लाल, पी डब्ल्यू 6 धुरी, पी डब्ल्यू 11 बालू राम की गवाही स्वाभाविक रूप से ठोस है और सभी भौतिक विवरणों में पी डब्ल्यू 7 शेरा राम की गवाही

की पुष्टि की गई है। उनकी गवाही को स्वीकार करते हुए यह स्पष्ट है कि घटना के दौरान विधि विरुद्ध सभा के सदस्यों के रूप में सभी सातों अभियुक्तों ने मृतक शिवजी राम और पी डब्ल्यू 7 शेरा राम को अपने हथियारों से घायल कर दिया है।

14. शिवजी राम की मृत्यु नरसंहार की हिंसा से हुई, यह मामले में पेश किए गए चिकित्सा साक्ष्यों से स्थापित होता है। पीडब्ल्यू 9 डॉ. मोती लाल मिश्रा ने शिवाजी राम के शरीर का शव परीक्षण किया और सिर पर मस्तिष्क तक 6½" x ½" का घाव पाया और आंतरिक जांच में मस्तिष्क के तत्वों का विनाश पाया।उन्हें शरीर के अन्य हिस्सों पर आठ अन्य चोटें भी मिलीं। उन्होंने प्रदर्श पी33 पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी कर राय व्यक्त की कि मौत मस्तिष्क के तत्वों के नष्ट होने और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण सदमे के कारण हुई है। मौखिक गवाही में पीडब्ल्यू 9 डॉ. मोती लाल मिश्रा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सिर पर पाई गई चोट संख्या 1 ही मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि घटना के दौरान लगी चोटों के कारण शिवजी राम की मृत्यु हो गई। यह ध्यान देने योग्य है कि पीडब्ल्यू 9 डॉ. मोती लाल मिश्रा ने नोखा अस्पताल में घटना के तुरंत बाद पीडब्ल्यू 7 शेरा राम की जांच की और उस पर 11 चोटें पाई।प्रदर्श 32 चोटों का उल्लेख करते हुए उनके

द्वारा जारी चोट रिपोर्ट है। उनके अनुसार सभी चोटें साधारण प्रकृति की हैं।

15. घटना के बारे में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा 29.5.1983 पर नोखा पुलिस स्टेशन को टेलीफोन पर जानकारी दी गई थी और पीडब्ल्यू 13 अत्तार अली खान ने रोजनामचा में प्रदर्श पी54 अंकित करने के बाद तुरंत घटना स्थल पर जाकर शिवजी राम को मृत और शेरा राम को घायल अवस्था में पाया। उन्होंने शेरा राम का प्रदर्श पी9 बयान दर्ज किया और उसे इलाज के लिए नोखा अस्पताल भेज दिया और मामला दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन को बयान भेज दिया। प्रदर्श पी55 प्रथम सूचना रिपोर्ट है। उसने प्रदर्श पी 34 मजहर के तहत घटना स्थल से आरोपी द्वारा इस्तेमाल किए गए जेई को भी जब्त कर लिया। मामला दर्ज करने में कोई देरी नहीं हुई है और जांच में कोई त्रुटि नहीं है।

16. यह सच है कि आरोपी पक्ष का पीड़ित पक्ष के साथ भूमि विवाद था। कलेक्टर ने विषय भूमि को आबादी में बदलने का आदेश दिया और शिवजी राम और उनके दो भाइयों द्वारा किए गए आवेदन पर पट्टे जारी किए गए, जैसा की पी 12, पी 16, पी 17, पी 20, पी 21 और पी 24 से स्पष्ट है। अभियुक्त भेरा राम ने पहली बार में पंचायत समिति को पट्टा देने के खिलाफ अपीलों को प्राथमिकता दी और उन्हें खारिज कर दिया गया और कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत संशोधन लंबित था। पीडब्ल्यू 8

सरपंच धुराराम और पीडब्ल्यू 5 रिकॉर्ड कीपर हनुमान दास ने ऐसा कहा है। इस प्रकार साक्ष्य से पता चलता है कि अभियुक्त पक्ष विषयगत भूमि को अपने लिए प्राप्त करने का इच्छुक था और इसे प्राप्त करने के लिए कानूनी कदम उठा रहा था। शिवजी राम और उनके भाइयों द्वारा लगाई गई बाड़ के बारे में पता चलने पर वे नाराज हो गए और बाड़ हटाने के लिए वहाँ गए। जब वे बाड़ को तोड़ रहे थे, तब शिवजी राम और उनके भाइयों ने वहां आकर यह कहकर विरोध किया कि उन्होंने पट्टा प्राप्त कर लिया है और अचानक झगड़ा हो गया।

17. अचानक एक लड़ाई होती है जिसके लिए कमोबेश दोनों पक्षों को दोषी ठहराया जाता है और यह एक लड़ाई है चाहे वह हथियारों के साथ हो या हथियारों के बिना। यह हो सकता है कि उनमें से एक ने इसे शुरू किया हो, लेकिन अगर दूसरे ने इसे अपने आचरण से नहीं बढ़ाया होता, तो यह उतना गंभीर मोड़ नहीं लेता जितना इसने लिया था। आवेश के लिए जरूरी है कि आवेश को ठंडा होने का समय न मिले और इस मामले में पक्षों ने शुरुआत में मौखिक विवाद के कारण खुद को क्रोधित कर लिया है। 9 चोटों में से केवल चोट संख्या 1 को गंभीर प्रकृति का माना गया था, जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृतक की मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त था। हमला बेतरतीब ढंग से किया गया था। यहां तक कि पिछले झगड़े भी मौखिक थे न कि शारीरिक।ऐसा प्रतीत

नहीं होता है कि भूमि संबंधी पहले के विवादों में शारीरिक लड़ाई की विशेषताएं शामिल थीं। इससे पता चलता है कि अचानक हुए झगड़े पर आवेश में आकर आरोपियों ने मृतक को चोटें पहुंचाईं।ऐसा होने पर आईपीसी की धारा 300 का अपवाद 4 लागू होता है। तथ्यात्मक स्थिति **घपू यादव एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य** (2003) 3 एससीसी 528 से काफी मिलती जुलती है।

18. मृतक को लगी चोटों की प्रकृति और ऊपर बताई गई परिस्थितियों को देखते हुए यह निष्कर्ष अटल है कि मौत अभियुक्त के कृत्यों के कारण हुई थी, जो ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे से की गई थी जिससे मौत होने की संभावना हो और इसलिए अपराध पूरी तरह से धारा 304 आईपीसी के पहले भाग के अंतर्गत आएगा और अपीलार्थी उक्त अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी होंगे। उच्च न्यायालय द्वारा आईपीसी की धारा 304 भाग II सपठित धारा 149 के तहत अपीलार्थियों/अभियुक्तों की सजा को रद्द किया जा सकता है।

19. हमारा मानना है कि आईपीसी की धारा 304 भाग I के तहत दोषसिद्धि के लिए प्रत्येक अपीलकर्ता पर 7 साल का कठोर कारावास लगाने से न्याय की पूर्ति होगी।हम अपीलार्थियों पर लगाए गए अन्य दोषसिद्धि और सजा को बनाए रखते हैं।हमारा यह भी विचार है कि अपीलार्थी परिवीक्षा पर रिहाई के हकदार नहीं हैं।

20. परिणामस्वरूप, अभियुक्तों, नानक राम, मोहन राम और सुरजा राम, के खिलाफ राजस्थान राज्य द्वारा दायर आपराधिक अपील संख्या 1990/2010, 1991/2010 और 1992/2010 को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है और आईपीसी की धारा 304 भाग II सपठित धारा 149 के तहत अपराध के लिए उनकी दोषसिद्धि और प्रत्येक को 5 साल के कठोर कारावास की सजा को रद्द कर दिया गया है। और इसके बजाय उन्हें आईपीसी की धारा 304 भाग I सपठीत धारा 149 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और प्रत्येक को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है। उच्च न्यायालय द्वारा उन पर लगाए गए अन्य सभी दोषसिद्धि और सजाएं बरकरार रखी जाती हैं। आपराधिक अपील संख्या 1985/2010 और 342/2011 खारिज कर दी गई हैं।

न्यायाधिपति (टी.एस. ठाकुर)

न्यायाधिपति (सी. नागप्पन)

नई दिल्ली;

26 फरवरी, 2014

(यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।)

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।